संख्या—235 / XX(1) / 11 / यू0ओ0 / 05 (110)

(67)

प्रेषक,

एस0एस0टोलिया,
अनु सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तरांचल, देहरादून।

गृह अनुभाग—1 देहरादून: दिनांक: 9 फरवरी 2005

विषय— उत्तरांचल पावर कारपोरेशन में पुलिस प्रकोष्ठ का गठन।

महोदया,

कृपया अपने पत्र संख्या डीजी—एक—157—2004(3) दिनांक 29 जनवरी 2005 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री जसवन्त सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, दो निरीक्षक, ना0पु0 एवं 6 हेड कान्स0, ना0पु0 को पुलिस विभाग से उत्तरांचल पावर कारपोरेशन में सतर्कता सेल हेतु प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः दो निरीक्षक ना0पु0 एवं 6 हेड कान्स0 ना0पु0को नामित करते हुये तथा श्री जसवन्त सिंह, पुलिस उपाधीक्षक को अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून को प्रतिनियुक्ति पर तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। प्रतिनियुक्ति की शर्तें अलग से निर्धारित की जायेंगी।

भवदीय,

9-2-05

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:1. अपर मुख्य सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2—सचिव, ऊर्जा, उत्तरांचल शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

3—उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव ।

567 ....
पत्रांक...04.....03-05 (111)

24

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल देहरादून
संख्या:–डीजी–1–157–2004(3) दिनांक: फरवरी 24, 2005

आदेश

गृह विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून के आदेश सं0 235/20(1)/11/यू0ओ0 2005 दिनांक 9–2–2005 के अनुपालन में श्री जसवन्त सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, भवन/कल्याण, उत्तरांचल पुलिस मुख्यालय देहरादून को पुलिस विभाग से उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 में सतर्कता सैल हेतु प्रतिनियुक्ति पर कार्यमुक्त किया जाता है।

2– उक्त प्रतिनियुक्ति की शर्ते उत्तरांचल शासन द्वारा अलग से निर्धारित की जायेंगी।

3– श्री जसवन्त सिंह, पुलिस उपाधीक्षक इस मुख्यालय से कार्यमुक्त होने पर प्रतिनियुक्ति हेतु अपने आगमन की रिपोर्ट अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन कांवली रोड, देहरादून को देगें।

(जे0एस0पाण्डे)
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन,
उत्तरांचल।

1– प्रतिलिपि श्री जसवन्त सिंह को अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

2– प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. सचिव, ऊर्जा, उत्तरांचल शासन देहरादून।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, ऊर्जा भवन कांवली रोड, देहरादून।
5. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तरांचल देहरादून।
6. वित्त नियंत्रक, उत्तरांचल पुलिस मुख्यालय देहरादून।

No 1417..../CMD/I12 Dt. 3-3-2005

D(HR)/JMD

24/2/05
(जे0एस0पाण्डे)
अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन,
उत्तरांचल।

CMD 2/3

SPO 3/3

SO (S) Rakesh 4/3

(A Govt. of Uttaranchal Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248001
Phone : 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
(उत्तरांचल सरकार का उपक्रम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 248001
दूरभाष : 2763672–75, फैक्स 91–135–2769771

112

संख्या : 1117–नि0(मा0सं0)/11का.अनु.ए./वी–1

दिनांक : 18मार्च,2006

कार्यालय ज्ञापन

उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 में पुलिस प्रकोष्ठ का गठन विषयक उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं.235/XX(1)/11/यू0ओ0/05,दि.09–02–05 सपठित पुलिस मुख्यालय के आदेश सं.डीजी–1–157–2004(3),दि.24–02–05 में विहित अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की शर्ते उत्तरांचल शासन द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित किये जाने तक, कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर तैनात पुलिस कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति अवधि में कारपोरेशन के ज्ञापांक 2018 एंव 2019–नि0(मा0सं0)/11का.अनु.ए./वी–1,दि.07–07–2005 द्वारा अनुमन्य सेवा सुविधा के अतिरिक्त निम्न सेवा सुविधाएं इस प्रतिबन्धाधीन अनन्तिम रूप से अनुमन्य किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है कि उपर्युल्लिखित शासनादेशों में यथा उल्लिखित प्रतिनियुक्ति की शर्ते/प्रतिबन्ध उत्तरांचल शासन द्वारा अलग से निर्धारित किये जाने पर, तदनुसार सेवा सुविधांए,शर्ते तथा प्रतिबंध अन्तिम रूप से प्रवृत्त होंगें :–

1– उप पुलिस अधीक्षक एंव उच्च अधिकारियों को रू.1000/– प्रति माह तथा पुलिस निरीक्षकों को रू.700/– की दर से विशेष जॉच कार्य भत्ता अनुमन्य होगा।

2– प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पुलिस कार्मिकों से इस आशय का वचन पत्र कि पैतृक विभाग में अनुमन्य चिकित्सा सुविधा का लाभ उनके द्वारा नहीं लिया जा रहा है, कारपोरेशन में विद्यमान चिकित्सा सुविधांए अनुमन्य की जाएगीं।

3– प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पुलिस कार्मिकों की कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति की अवधि पॉच वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा उन्हें उनके पैतृक विभाग में अनुमन्य सेवा सुविधांए/भत्ते कारपोरेशन में भी वैसे ही अनुमन्य होंगें जैसे कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात न होने की स्थिति में उनके पैतृक विभाग में अनुमन्य होते ।

अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1117 –नि0(मा0सं0)/11का.अनु.ए./वी–1,तदि्दनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- अपर सचिव(ऊर्जा) उत्तरांचल शासन,सचिवालय भवन,सुभाष मार्ग,देहरादून ।
2- निजी सचिव,अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,'ऊर्जा भवन'देहरादून ।
3- वैयक्तिक सहायक,निदेशक(वित्त)/निदेशक(मा0सं0) उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0'ऊर्जा भवन',देहरादून ।
4- अपर पुलिस महानिदेशक,प्रशासन,मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उत्तरांचल,देहरादून को उनके कार्यालय के उक्त 'आदेश दिनांक 24–02–2005 के सन्दर्भ में ।
5- पुलिस अधीक्षक,सतर्कता सेल,उ0पा0का0लि0,'ऊर्जा भवन'देहरादून को उपर्युक्त कमांक–3 के सन्दर्भ में इस अभ्युक्ति सहित कि वे कृपया प्रतिनियुक्ति पर तैनात पुलिस कार्मिकों का उनके पैतृक विभाग में अनुमन्य भत्ते/सेवा सुविधाओं का विवरण संगत आदेशों सहित उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
6- उप महाप्रबन्धक(वित्त)के0लै0का0,उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
7- उप महाप्रबन्धक(वित्त) उ0पा0का0लि0,देहरादून/हल्द्वानी ।
8- अधिशासी अभियन्ता(मुख्यालय भुगतान इकाई) उ0पा0का0लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।
9- सम्बधित पुलिस निरीक्षक/वैयक्तिक पत्रावली/कार्यालय ज्ञापन पंजिका/कट फाईल ।

[डा0 पी0सी0जोशी]
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी

113

82

संख्या : 209 /XXVII(7)प्र0श0/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त (वे0 आ0-सा0नि0) अनुभाग – 7 देहरादून, दिनांक : 16 नवम्बर, 2006

विषयः– विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित परियोजनाओं/आई0टी0डी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत् पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिये सेवा शर्तों का निर्धारण।

महोदय,

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की परियोजनायें संचालित की जा रही है, जोकि पूर्णतः/आंशिक रूप से विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित है। इन परियोजनाओं में राज्य सरकार के कार्मिकों को बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किया जाता है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त परियोजनाओं में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित कार्मिकों की बाह्य सेवा शर्तों के जो पैकेज निर्धारित किये गये है, वे भिन्न-भिन्न है तथा इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के कार्मिकों के किसी निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय अथवा किसी भी स्वायत्तशासी संस्था में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण होने की दशा में इनके लिये निर्धारित बाह्य सेवा की मानक शर्तों के अनुरूप नहीं है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त् यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के कार्मिकों के बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में सभी स्थानों पर बाह्य सेवा शर्तें समान होनी चाहिए।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक पोषित एवं बाह्य सहायतित परियोजनाओं में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित होने वाले सरकारी कार्मिकों की सेवा शर्तें भी सरकारी कार्मिकों के किसी निगम/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय अथवा किसी भी स्वायत्तशासी संस्था में बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की मानक शर्तों (प्रारूप संलग्न) के अनुरूप होगी। पूर्व में यदि भिन्न शर्तें स्वीकृत की गई हैं तो वे उपरोक्तानुसार संशोधित मानी जायेगी, किन्तु विभिन्न विभागों द्वारा इसप्रकार की परियोजनायें चलाये जाने की दशा में इन परियोजनाओं में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात कार्मिकों पर संलग्न बाह्य सेवा की मानक शर्तें लागू नहीं होगी तथा उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन परियोजना भत्ता उन्हीं दरों पर अनुमन्य होगा, जिन दरों पर बाह्य सेवा की स्थिति में प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य होता है:–

(i) सेवा स्थानान्तरण पर चयन विधिवत् किसी चयन समिति के माध्यम से हुआ हो।

(ii) परियोजना के सुस्पष्ट निश्चित उद्देश्य हो तथा जिन्हें निश्चित अवधि में पूर्ण किया जाना अपेक्षित हो।

4. यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

(114)

(81)

संख्या 309 /XXVII(7)/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय।
5. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय।
6. सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तरांचल।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(टी० एन० सिंह)

अपर सचिव

शासनादेश संख्या– 209/ XXVII(7)प्र0श0/2006 तद्दिनांक– 16 नवम्बर, 2006 का संलग्नक

1. नियुक्ति/पदस्थापन –

निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है–

विभिन्न पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी तथा प्रतिनियुक्ति हेतु उपयुक्तता के सिद्धान्त के आधार पर ऐसे कार्मिक भी नियुक्ति के पात्र होंगे, जो स्वीकृत पद के ठीक नीचे के वेतनमान में कार्यरत् हो।

प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिक को यह विकल्प रहेगा कि वह अपना संवर्गीय मूल वेतनमान में मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता ले अथवा नियुक्ति के पद का वेतनमान।

सृजित पदों के वेतनमान से भिन्न वेतनमान के कार्मिकों की नियुक्ति की स्थिति में उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग द्वारा पृथक् से विचार किया जायेगा।

बाह्य सेवा की अवधि में यदि कार्मिक उसी स्टेशन पर रहता है, जहाँ उसकी तैनाती है, तो उन्हें वेतन का 5% परन्तु अधिकतम रू0 500 प्रतिमाह तथा यदि तैनाती स्टेशन से बाहर हो, तो वेतन का 10% परन्तु अधिकतम रू0 1000 प्रतिमाह प्रतिनियुक्त भत्ता इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगा कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते की कुल धनराशि का योग किसी भी समय रू0 22,000 प्रतिमाह से अधिक न हो।

2. महँगाई भत्ता

सभी पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों को बाह्य सेवा पर महँगाई भत्ता उत्तरांचल सरकार के कार्मिकों को स्वीकृत दरों पर अनुमन्य होगा तथा

नगर प्रतिकर भत्ता/पर्वतीय प्रतिकर भत्ता संबधित स्टेशन पर समकक्ष स्तर के राज्य सरकार के कार्मिक को स्वीकृत दर पर अनुमन्य होगा।

3. मकान किराया भत्ता –

बाह्य सेवा पर मकान किराया भत्ता ऐसे कार्मिकों को अनुमन्य होगा, जिन्हें पी0एम0यू0/आई0टी0डी0ए0/पैतृक विभाग/प्रोजेक्ट प्रकोष्ठों तथा सरकार द्वारा आवास उपलब्ध नही कराया गया है। यह भत्ता ऐसे योग्य कार्मिकों को निर्धारित प्रारूप में संलग्नक – 1 पर 2 प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर राज्य सरकार द्वारा देय दर के दोगुने अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो, अनुमन्य होगा।

4. परियोजना भत्ता –

बाह्य सहायतित परियोजनाओं आदि में नियुक्त कार्मिकों को निम्नवत् मासिक परियोजना भत्ता अनुमन्य होगा –

क्र०सं०	कार्मिकों की श्रेणी	अनुमन्य मासिक भत्ता
I	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 4500 प्रतिमाह तक है।	रू0 600
II	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 4501 से रू0 7999 प्रतिमाह तक है।	रू0 800
III	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान सीमा का अधिकतम रू0 8000 से रू0 15199 तक है।	रू0 1200
IV	ऐसे कार्मिक, जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 15200 प्रतिमाह या इससे अधिक है।	रू0 1500

5. चिकित्सा सुविधा —

बाह्य सेवा में कार्यरत् पूर्णकालिक कार्मिकों को प्रतिवर्ष एक माह की परिलब्धियों (मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता) की सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सक्षम सरकारी चिकित्साधिकारी द्वारा निर्धारित उपचार पर बाउचर प्रस्तुत करने पर देय होगी, किन्तु

किसी भी कार्मिक को बाह्य सेवायोजक द्वारा चिकित्सीय भत्ता देय नही होगा। सरकारी कर्मचारी, जो प्रतिनियुक्ति पर है उन्हें पूर्व से अनुमन्य चिकित्सा सुविधा से कम सुविधा उपलब्ध नही होगी।

6. यात्रा भत्ता —

पी0एम0यू0/प्रोजेक्ट सेल आदि में कार्यरत् अधिकारियों को प्रोजेक्ट कार्य हेतु की गई यात्राओं के लिये निम्नवत् यात्रा/दैनिक भत्ता देय होगा — राज्य सरकार के समकक्ष वेतनमान के कार्मिकों के समान नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

राज्य के भीतर की गई यात्रा के दौरान ठहरने के लिये सरकारी व्यवस्था/विभागीय व्यवस्था उपलब्ध न होने पर गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल विकास निगम के आवास गृहों में तत्समय प्रचलित दैनिक दरों की सीमा तक बाउचर प्रस्तुत करने पर ठहरने की अनुमति होगी और तदनुसार ही धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

प्रदेश के बाहर परियोजना कार्य हेतु की गई यात्राओं के लिये राज्य सरकार के पूर्णकालिक कार्मिकों को अनुमन्य दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता, रसीद प्रस्तुत करने पर उक्त सीमा तक ही अनुमन्य होगा। विशिष्ठ परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति करने का निर्णय ले सकते है।

7. दूरभाष सुविधा —

वेतनमान रू0 10000—15200 या उससे उच्चतर वेतनमान के कार्मिकों को आवासीय दूरभाष की सुविधा अनुमन्य होगी। अन्य किसी विशिष्ट परिस्थिति में आवासीय दूरभाष उपलब्ध कराने हेतु विभागीय सचिव एवं वित्त विभाग का अनुमोदन लेना आवश्यक होगा। परियोजना के कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा आवश्यकता का विवरण स्पष्ट होने पर संचालन मण्डल के निर्णयों के क्रम में सीमित फोन भत्ता (मोबाइल फोन भी शामिल) दिया जा सकता

अवकाश यात्रा सुविधा –

अवकाश यात्रा सुविधा वर्ष में एक बार संबंधित वर्ष की एक माह की परिलब्धियों (मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता) की सीमा तक अनुमन्य होगी, बशर्ते कार्मिक व उसके परिवार द्वारा वास्तव में यात्रा करते हुए न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश लिया गया हो तथा यात्रा टिकट प्रस्तुत किए गये हो, जिस वर्ष अवकाश यात्रा सुविधा स्वीकृत की जायेगी उस वर्ष अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नही होगी।

9. व्ययों की प्रतिपूर्ति (समाचार पत्र) –

वेतनमान रू0 10000–15200 या उससे उच्चतर वेतनमान में कार्यरत् कार्मिकों को बिल वाउचर प्रस्तुत करने पर समाचार पत्र/पत्रिकाओं के क्रय हेतु रू0 200.00 प्रतिमाह की सीमा तक प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

10. अन्य –

उक्त शर्तों में कार्मिक से तात्पर्य उत्तरांचल ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना के अधीन गठित राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कोर्डिनेशन यूनिट (पी0एम0यू0)/इनफार्मेशन टेक्नालॉजी डेवलपमेंट एजेंसी (आई0टी0डी0ए0)/विश्व बैंक पोषित परियोजनाओं, प्रोजेक्ट सैलों में कार्यरत् कर्मचारियों/अधिकारियों से है।

(ii) उक्त प्रोजेक्ट प्रकोष्ठों में कार्यरत् कार्मिकों की अन्य सेवा शर्तें उत्तरांचल शासन/राज्य स्तरीय प्रबन्धन इकाई एवं निर्धारित सक्षम प्राधिकारी/प्रकिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगी।

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव,

38

118

संख्या: 4 /जी आई/XXX(2)/2007

प्रेषक,

डी0 के0 कोटिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड ।

कार्मिक अनुभाग–2

देहरादून: दिनांक 12 मार्च, 2007

विषय:– प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए अधिक अवधि तक रुकने के परिणाम के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों द्वारा कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों में प्रतिनियुक्ति अवधि विशेष रूप से निर्धारित होती है । किन्तु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के बहुत से प्रकरण शासन के संज्ञान में आए हैं । सक्षम प्राधिकारी को ऐसे बहुत से मामलों में प्रतिनियुक्ति पर निर्धारित अवधि से अधिक (ओवर स्टे) को नियमित करने के कार्योत्तर प्रस्ताव प्राप्त होते हैं । इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि नियंत्रक प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिक को कार्यमुक्त करने में कोई ढिलाई न हो तथा प्रतिनियुक्ति पर आए कार्मिक भी यह मानकर न चलें कि प्रतिनियुक्ति वाले विभाग द्वारा औपचारिक रूप से कार्यभार मुक्त होने पर ही उन्हें अपने मूल संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करना होगा । अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में प्रतिनियुक्ति के सभी मामलों को निम्न शर्तों द्वारा नियमित किया जायेगा:–

(1) प्रतिनियुक्ति की शर्तों में संबंधित पद के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से न केवल प्रतिनियुक्ति अवधि का उल्लेख होगा बल्कि प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी/कर्मचारी के कार्यभार मुक्त होने की तारीख भी स्पष्ट निर्धारित की जायेगी । अधिकारी को कार्यमुक्त करने के लिए और कोई आदेश आवश्यक नहीं होंगे ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों सहित प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि की तिथि की समाप्ति पर उन्हें कार्यभार से मुक्त माना जाएगा सिवाय उस स्थिति में जबकि सक्षम प्राधिकारी ने उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व

लिखित रूप में उसकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाए जाने के लिए अपेक्षित अनुमोदन नहीं दे दिया है । प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी प्रतिनियुक्ति अवधि से अधिक समय तक न रहे, यह सुनिश्चित करना उसके नियंत्रक अधिकारी की जिम्मेदारी होगी । ऐसे मामलों, जिनमें इन आदेशों के जारी होने की तिथि को अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हो तथा उनकी सामान्य प्रतिनियुक्ति अवधि 6 माह के भीतर समाप्त हो रही हो, से संबंधित कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति अवधि में एक माह से अधिक का विस्तार केवल कार्मिक विभाग के अनुमोदन से ही दिया जा सकेगा ।

(3) यदि किसी भी कारण से अधिकारी अधिक दिनों तक बना रहता है तो वह अनुशासनिक कार्यवाही तथा प्रतिकूल सेवा परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा जिसके अन्तर्गत अनधिकृत रूप से अधिक दिनों तक बने रहने की अवधि की पेंशन के प्रयोजन के लिए सेवा नहीं गिनी जाएगी तथा अनधिकृत रूप से अधिक दिनों तक बने रहने की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तब तक आस्थगित रहेगी जब तक कि संबंधित अधिकारी अपने मूल संवर्ग में पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है ।

2. प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश जारी किये जाने से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिक से प्रतिनियुक्ति के नियमों एवं उपरोक्त प्रस्तर–1 की शर्तों के संबंध में निश्चित सहमति प्राप्त की जायेगी और प्रतिनियुक्ति की उक्त शर्तों से वर्तमान में राज्याधीन सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सभी कार्मिकों को अनुपालनार्थ अवगत कराया जायेगा ।

3. प्रतिनियुक्ति संबंधी उक्त शर्तें राज्याधीन सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होंगे जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी विभिन्न राज्य सरकार के कार्मिक तथा राज्याधीन स्वायत्तशासी निकाय एवं निगमों आदि में प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले कार्मिक शामिल हैं ।

4. राज्याधीन सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि उपरोक्त निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार की छूट अपेक्षित हो तो उसके सम्बन्ध में प्रतिनियुक्ति शुरू होने की अवधि से पूर्व ही कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी ।

5. कृपया अधीनस्थ विभागों में प्रतिनियुक्ति अवधि के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डी० के० कोटिया)

सचिव ।

संख्या–1833 / I(2)/2018–06(2)–40/2006

प्रेषक,

राधिका झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 05 नवम्बर, 2018

विषय.– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में सर्तकता सैल (प्रवर्तन दल) का गठन एवं पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, (मा0सं0) उत्तराखण्ड पावर पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून के पत्र संख्या–1623–निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/SPO(HR)/सर्तकता, दिनांक 14–02–2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में सर्तकता सैल (प्रवर्तन दल) का गठन करते हुए उक्त सैल हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार कुल–08 अस्थाई पदों को शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद के विरूद्व वास्तविक नियुक्ति होने की तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 28–02–2019 तक के लिए इस शर्त कि ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	नयी वेतन संरचना (Pay Matrix)
1	2	5	7
1	डी0आई0जी0/एस0एस0पी0	01	लेबल–12 प्रारम्भिक 78800 अंतिम 209200 (अपने संवर्ग के अनुसार)
2.	डिप्टी एस0पी0	01	लेबल–09 प्रारम्भिक 53100 अंतिम 167800 (अपने संवर्ग के अनुसार)
3	इंस्पेक्टर	02	लेबल–08 प्रारम्भिक 47600 अंतिम 151100 (अपने संवर्ग के अनुसार)
4.	सब इंस्पेक्टर	04	लेबल–07 प्रारम्भिक 44900 अंतिम 142400 (अपने संवर्ग के अनुसार)

1. सृजित पदों पर तैनाती पुलिस/गृह विभाग से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की जायेगी।
2. पदधारकों को उक्त पद के वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर प्रस्तावित आदेशों के अनुरूप अनुमन्य किये गये मंहगाई एवं अन्य भत्ते आदि अनुमन्य होगें।
3. सतर्कता सैल (प्रवर्तन दल) का मुख्य कार्य विद्युत चोरी का पता लगाना, उन क्षेत्रों की पेट्रोलिंग करना जहां पर टान्सफार्मर व तार चोरी की ज्यादा घटनायें हो, ट्रांसफार्मर एवं कन्डक्टरों का भौतिक

........2

सत्यापन, विद्युत मीटरों में गलत हार्स पावर रेटिंग को चैक करना, अनाधिकृत विद्युत लाईनों के विस्तार को चैक करना एवं प्रवर्तन दल द्वारा आसूचना संकलित कर घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक, कृषि एवं एलएमवी–09 विधाओं के अन्तर्गत विद्युत चोरी पकड़ना होगा।

4. सतर्कता सैल (प्रवर्तन दल) में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस/गृह विभाग से तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं अन्य प्रकरणों पर प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि द्वारा संस्तुति/रिपोर्ट प्रमुख सचिव/सचिव ऊर्जा को प्रेषित की जायेगी, जिस पर प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अन्तिम निर्णय लेते हुए अनुशासनात्मक/ विभागीय कार्यवाही किये जाने की संस्तुति प्रमुख सचिव/सचिव गृह विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. सतर्कता सैल (प्रवर्तन दल) के कार्यों का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य होगा एवं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार उ0प्र0 कार्य नियमावली, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम–3 के अन्तर्गत कार्य बंटवारा के आधार पर सक्षम स्तर का होगा।

6. उक्त सर्तकता सैल (प्रवर्तन दल) में लिपिकीय संवर्ग से सम्बन्धित कार्य निगम में पूर्व से सृजित लिपिकीय संवर्ग के पदों पर नियुक्त कार्मिकों से सम्पन्न कराया जायेगा जिसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते देय नहीं होगें।

7. उक्त पद धारकों पर आने वाला व्यय उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के आन्तरिक संसाधनों से वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–162/वित्त अनुभाग–7/2018,दिनांक 28 सितम्बर, 2018 द्वारा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राधिका झा)
सचिव।

संख्या– /I(2)/2018–06(2)–40/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. महानिदेशक, पुलिस विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक, देहरादून।
5. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय, परिसर।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।